न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
उदा गाडरी बनाम नन्दा गाडरी प्रकं० नं० -68/18
किस्म - प्रा० पत्र

25.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम सरदारनगर में पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता वक्त शिविर उपस्थित। विपक्षीगण को जारी सुचनापत्र/सम्मन नोटीस विधिवत बाद तामील लौटकर मूल वाद में प्राप्त किन्तु नियत शिविर में विपक्षीगण सुचित होने के उपरान्त भी हाजिर नही। लिहाजा विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 579 के **आराजी सख्यां 1583, 1585, 1586, 2873 कुल किता 04 कुल रकबा 07–02 बीघा तथा खतौनी संख्या 577 के आराजी संख्या 1578, 1579, 1580, 2874, 2875, 2876, 2884 कुल किता 07 कुल रकबा 04–08 बीघा एंव खतौनी संख्या 576 के आराजी संख्या 2880, 2881, 2882 कुल किता 03 कुल रकबा 02–10 बीघा** आराजीयात जो कि वर्तमान में विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजियात को पुश्तेनी/पैत्रक होने का कथन रखते हुए निवेदन किया कि, सर्वप्रथम विवादित आराजीयात वादीगण के दादा श्री भैरू पिता महाराम गाडरी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। भैरू पिता महाराम गाडरी की मृत्युपरांन्त विरासत से उनके पुत्र यानि वादीगण के पिता श्री नन्दा व पत्नि जेतु गाडरी के नाम पर इन्तकाल खुल, राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हुआ। प्रार्थीगण व विपक्षी क्रम 01, 02 वादग्रस्त आराजीयात समान रूप से हक हिस्से अनुसार में प्रथम श्रेणी की वारिसान है, जिस पर हम अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। किन्तु प्रार्थीगण की पैत्रक आराजीयात को विपक्षी संख्या 01 व 02 बैचान कर हस्तान्तरित करने एंव प्रार्थीगण को पुश्तेनी जायदाद से महरूम करने पर आमादा है।

अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें।

प्रकरण के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी संख्या 01, 02 द्वारा प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात में से जबरन बेदखल व आराजीयात का अन्तरण/बैचान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।

अतः ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 579 के **आराजी सख्यां 1583, 1585, 1586, 2873** कुल किता 04 कुल रकबा 07–02 बीघा तथा **खतौनी संख्या 577 के आराजी संख्या** 1578, 1579, 1580, 2874, 2875, 2876, **2884 कुल किता 07 कुल रकबा 04–08** बीघा एंव **खतौनी संख्या 576 के आराजी संख्या 2880, 2881, 2882 कुल किता 03 कुल रकबा 02–10 बीघा** भूमि में **प्रार्थीगण के हक हिस्से तक** में राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विगत सुनवाई दिनांक 27.03.2018 को प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर, विपक्षीगण संख्या 01, 02 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

सेवामें,